



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

क्रमांक: क.रा.फा./जैत./कृषि/10-29/2021-22/

दिनांक 03.02.2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज) में रबी 2021-22 व जायद-2022 के लिए खण्ड दो व तीन के अर्न्तगत उत्पादित जिन्सों की पल्लेदारी के विभिन्न कार्यों को कराने के लिए निविदा दिनांक 10.02.2022 को अपराह्न 02.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय 10.02.2022 का दोपहर 12.45 बजे तक ही किया जाएगा। पल्लेदारी कार्य में एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा।

निविदा में भाग लेने के लिए पल्लेदारी कार्य के लिए प्रति खण्ड धरोहर राशि 20,000/- (रु बीस हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र के लिए रुपये 236 (200+36 GST 18%) NEFT/RTGS, जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 3396 3396 672) में जमा करवानी होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि निगम के खाते जमा होने के बाद NEFT/RTGS के माध्यम से लौटा दी जाएगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदा दाता की धरोहर राशि संतोषजनक ढंग से कार्य पूरा होने के बाद लौटाई जाएगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता संख्या मय आईएफसी कोड का विवरण एवम एक प्रमाणित छायाप्रति व ई.पी.एफ., इ.एस.आई सी रजिस्ट्रेशन नं. की प्रति भी सलग्न करनी होगी। ई-निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायः 5.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है तथा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं।

सहा.प्रबंधक (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

विषय: रबी 2021-22, जायद-2022 जिन्सों की पल्लेदारी कार्य करने बाबत।

महोदय,

आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/10-29/2021-22/दिनांक 03.02.2022 के संदर्भ में, रबी 2021-22, जायद-2022 की फसलों के उत्पादित जिन्सों के निम्न पल्लेदारी कार्यों को करने हेतु, मैं अपनी निम्नलिखित प्रस्तावित दरें खण्ड दो/तीन क लिए दे रहा हूँ। इस सम्बंध में जो आपकी नियम व शर्तें हैं, वे मैंने पढ़ व समझ ली हैं तथा मुझे मान्य हैं। कृपया मुझे पल्लेदारी कार्य का ठेका प्रदान करने का श्रम करें।

पल्लेदारी कार्य करने के लिए:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	खण्ड-दो दर/ कुन्टल	खण्ड-तीन दर/ कुन्टल
1.	ट्रक/ ट्राली(बिना हाइड्रोलिक) द्वारा लाये उत्पाद को मुख्य खलिहान पर उतारना	रु०.....	रु०.....
2.	बोरी भरना व सिलाई करना	रु०.....	रु०.....
3.	बोरी तुलाई करना	रु०.....	रु०.....
4.	बोरी तुलाई करना (वे ब्रिज से तोलना)	रु०.....	रु०.....
5.	बोरी ट्रक/ ट्राली में लादना	रु०.....	रु०.....
6.	बोरी ट्रक/ ट्राली से उतारना	रु०.....	रु०.....
7.	गोदाम में 15 बोरी की ऊँचाई तक चट्टा लगाना	रु०.....	रु०.....
	कुल	रु०.....	रु०.....

नोट:- एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा।

दिनांक

पेन न०

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पता

.....

फोन न०.....

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर,
जिला श्रीगंगानगर(राज)
रबी 2021-22 व जायद-2022 के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न जिन्सों की
पल्लेदारी कार्यों की नियम एवम् शर्त :-

1. पल्लेदारी कार्यों हेतु की निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक खण्ड से प्राप्त होने वाली जिन्सों की पल्लेदारी कार्यों हेतु धरोहर राशि अखरे रुपये 20,000.00 का NEFT/RTGS के माध्यम से जो कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो खाते में जमा करनी होगा। (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता सं.- 3396 3396 672)
2. निविदादाता बोरियों में हुक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। हुक का प्रयोग करने पर जुर्माना अथवा ठेका रद्द किया जा सकता है।
3. जिन्सों को साफ करके बोरिया भरने के बाद तुरन्त विपणन विभाग को सौंपना होगा।
4. मौसम खराब होने पर मुख्य खलिहान पर पड़ी जिन्सों को उपलब्ध तिरपाल आदि से ढकना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही, ठेकेदार द्वारा करने पर ठेके को रद्द कर दिया जायेगा।
5. ठेकेदार को पर्याप्त कामगारों की व्यवस्था करनी होगी। जिससे उपलब्ध जिन्सों को सफाई करने के बाद गोदामों के अन्दर रखा जा सके। सफाई न होने वाली जिन्सों को बोरियों में भरकर तुरन्त हैन्ड-ओवर करना होगा। अगर जिन्सों को साफ करने के बाद समय पर हैन्ड-ओवर नहीं किये जाने पर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो होने वाले नुकसान का पूर्णरूप से संबंधित ठेकेदार जिम्मेदार होगा। नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार से की जायेगी।
6. जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. असफल निविदादाता की धरोहर राशि निगम के खाते में जमा होने पर संबंधित निविदा दाता के खाते में जमा करवा दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य के सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर ही वापस की जायेगी।
9. ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का बिल सप्ताह में एक बार ही बनाया जायेगा।
10. ठेकेदार को अपने मजदूरों के रहने की व्यवस्था कार्यालय परिसर से बाहर करनी होगी।
11. कार्यरत मजदूरों के नाम की सूची फार्म के सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
12. ठेकेदार को निर्धारित नियम शर्तों की पालना करनी होगी। वह निर्धारित नियम शर्तों के अनुरूप ही कार्य करेगा। निर्धारित नियम शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा व जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. कामगारों की कमी होने पर कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जाता तो उस स्थिति में फार्म द्वारा कामगारों की व्यवस्था कर कार्य करवाया जायेगा उस पर आने वाले खर्च की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
14. ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा गलत आचरण करते पाये जाने पर फार्म प्रशासन उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करेगा।
15. प्रभारी निदेशक को पूरा अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।
16. ठेकेदार के पास निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता संख्या मय आईएफसी कोड का विवरण एवम् एक प्रमाणित छायाप्रति व ई.पी.एफ., इ.एस.आई सी रजिस्ट्रेशन नं. की प्रति भी सलग्न करनी आवश्यक है।
17. विभिन्न प्रकार के पल्लेदारी कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन हानि दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई.पी.फ. टी.डी.एस. दुर्घटना, मुआवजा व समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व निविदा दाता का होगा। यदि फार्म के किसी मामले में निविदा दाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कहीं भुगतान करना पड़े तो फार्म मय हर्जे, खर्च को निविदा दाता की देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने में स्वतंत्र होगा।
18. निविदा दाता को कार्य सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
19. निविदा दाता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियम शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा इसकी प्रमाणित कॉपी निविदा दाता को दी जाएगी।

20. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

उपरोक्त नियम शर्तें (क्रं.सं. 1 से 20 तक) मैंने पढ़ ली एवं समझ ली है। मुझे उपरोक्त नियम शर्तें मंजूर हैं। तदनुसार मैं अपनी प्रस्तावित दरें दे रहा हूँ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर